राजेश बिंदा न्यायमूर्ति के समक्ष

हरियाणा राज्य और अन्य ***याचिकाकर्ता-***

बनाम

राम किशन और ***अन्यउत्तरदाता—***

1316 का आरएफए नंबर 2009

2010 ,सितंबर 7

सिविल प्रक्रिया संहिता-1963 ,परिसीमा अधिनियम-1908 ,धारा -5 मुआवजे की वृद्धि के विरुद्ध राज्य द्वारा अपील उच्च न्यायालय की - अपील पुन दायर करने में - रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई कतिपय आपत्तियां राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए निजी - वर्ष का विलंब 9 लगभग भारी - सार्वजनिक धन की बर्बादी - वकील की नियुक्तिअवधि के विलंब के लिए क्षमा करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं -वितीय आयुक्त एवं प्रमुख सचिव ने गंभीर चूक की जांच करने और अपील पर ध्यान नहीं देने के लिए विभिन्न स्तरों पर गलती करने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया, राज्य को हुए नुकसान की राशि जिम्मेदारी तय करने के बाद दोषी व्यक्तियों से वसूलने का आदेश दिया। उन्हें सुनने का अवसर देने के बाद

यह माना जाता है कि यह विभिन्न स्तरों पर गंभीर चूक का मामला हैजो , अपील को फिर से दायर करने या यहां तक कि दायर

करने में दिनों की बड़ी अवधि 251 साल और 8 की देरी के लिए माफी देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। इसलिएसाल 8 अपीलों में , दिनों के विलंब की माफी के लिए आवेदन खारिज कर दिए 251 और दिनों की देरी के लिए 8 जाते हैं। यहां तक कि अपील दायर करने में माफी मांगने वाले अन्य आवेदनों को भी खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, अपीलों का भी वहीं वहीपरिणाम होगा।

(37 और 36 पैरा)

आगे कहा गया कि यह न्यायालय वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव हरियाणा सरकार को निर्देशित करने के लिए विवश है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इस गंभीर चूक की जांच करने और व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक आदेश दिया गया है। (व्यक्तियों) राज्य द्वारा दायर अपीलों पर ध्यान न देने में विभिन्न स्तरों पर (ख) गलती करने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें ,है। राज्य के कर्मचारी 10 से उम्मीद की ,सार्वजनिक धन से वेतन का भुगतान किया जाता है जाती है किवहकाम करें और राज्य के हित का ख्याल रखते हैं। वेतन का भुगतान इनाम के रूप में नहीं किया जाता है। जिम्मेदारी निर्धारित करने के बाद राज्य ,को हुई हानि की राशि दोषी व्यक्ति से (व्यक्तियों) उनकीबात सुनने के उचित अवसर के बाद वसूल की जानी चाहिए।

)पैरा (38

डीडी गुप्ताअतिरिक्त महालेखा महाधिवक्ता हरियाणा। ,

अरुण लूथरा ,उत्तरदाताओं के लिए वकील आर1313 संख्या .ए.ई. के

2009 में ।

राजेश बिंदल जे.

(1) यह आदेश 1315 ,1313 ,1308 के आरएफए संख्या 2009 में सिविल 1316 औरमिश्रितक्योंकि ,आवेदनों का निपटारा करेगा , के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। कानून और तथ्यों

(2) तथ्यों को से 1316 के आरएफए संख्या 2009 निकाला गया है।

(3) राज्य ने अधिगृहीत भूमि के लिए भूस्वामियों को दिए गए मुआवजे की राशि में कटौती करने की मांगकरते हुए अपील की है। अपील के साथ. ,अपील को फिर से दायर करने में 251 साल और 8 दिनों की देरी के लिए माफी 8 दिनों की देरी और उसके दाखिल करने में मांगने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया है।

<u>तथ्य</u>

(4) मामले के तथ्य यह हैं कि *भूमि*अधिग्रहण अधिनियम 1894 , ,संक्षेप में) एसीएफ (की धारा मई 11 के तहत जारी किए गए दिनांक 4 1990की अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा राज्य ने गांव अंखीर में एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। 628 एकड़ भूमि और गांव में 14108 तहसील बल्ल ,122 ;हडबस्त नं ,फतेहपुर चंदेलाभगरएच जिला फाफ इदाईबाद सेक्टर 21-ीफरीदाबाद में आवासीय और वाणिज्यि ,क्षेत्र के रूप में भूमि के विकास और उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर

" ,संक्षेप में)कलेक्टर 3,50,000 @ ने ("प्रति एकड़ मुआवजा दिया। अधिनियम की धारा नीचे दिए गए विद्वान ,के तहत संदर्भ 18न्यायालय ने अधिग्रहित भूमि 281.76 @प्रति वर्ग गज के बाजार मूल्य का आकलन किया।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

(5) यह राज्य द्वारा एक छिपायी गई एक अनोखी है जिसमेंअपील को फिर से दायर करने में दिनों की देरी के लिए 251 साल और 8 दिनों की सजा 8 इसके अलावा ,प्रार्थना की गई हैसुनाई गई है। राज्य की ओर से अपील शुरू में एक निजी वकील को नियुक्त करके की गई थीओलटिक के माध्यम से। न कि महाधिवक्ता के ,

(6) इस न्यायालयने फरवरी को इसे 16 *प्रथम दृष्टया* अनुचित करार दिया। माननीय (ग) उच्चतम न्यायालय ने वित्तीय आयुक्तटाउन , ल ,एंड कंट्री प्लानिंगारियाना सरकार को यह स्पष्ट करने का निदेश दिया कि किस परिस्थिति में एक निजी वकील को राज्य के संबंध में वर्तमान अपील और उसके लिए प्रदान करने वाले संगत नियमोंअनुदेशों / कितने मामलों में ,के संबंध में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा निजी वकील लगे हुए थे और किसने उनकी सगाई के लिए मंजूरी दी थी। उन्हें यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि विभाग के संबंधित अधिकारियोंकर्मचारियों द्वारा पुनःदेरी के लिए क्षमा मांगने के / में उल्लिखित संचार के नंबरों का जवाब क्यों 5 लिए आवेदन के पैरा नहीं दिया गया।

(7) उपरोक्त आदेश के जवाब मेंवित्तीय ,श्री डीएस ढेसी ,

1 ,आयुक्तऔर सरकार के प्रधान सचिवलारियाना नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एच ने दिनांक 2010 ,मार्च 11के अपने शपथ पत्र का नेतृत्व किया जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन निदेशक अरबन

एस्टेट्सचिकफप्रशासक हुड्डा-कम-द्वारा विभाग के हित को ध्यान में रखते हुए निजी वकील को वर्तमान अपील में नियुक्त किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की ओर से अपील दायर करने के लिए एक निजी वकील को नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है। हालाँकि राज्य की ओर से मामलों को आम तौर पर केवल महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा परिभाषित अधिवक्ताओं से ही लड़ा जाता है

(8) देरी के बारे में बताते हुए कहा गया कि श्री ओअधिवक्ता .पी. -संबंधित विभाग के साथ अपने पत्राचार में मामले की कार्यवाही को दिन प्रतिदिन सूचित करने के बजाय वकील की फीस की मांग कर रहे थे। हालांकिरिकॉर्ड से यह पता चला कि कोई शुल्क बिल प्रस्तुत नहीं किया , 240 उन्हें ज्ञापन संख्या क्योंकि तथ्य यह है कि ,गया थादिनांक 9 2009 जनवरीके माध्यम से डायरेक्टर अर्बन एस्टेट द्वारा सूचित किया गया था।

(9) इसे आगेबताया गया कि 2008 से 2007 के बीच विभिन्न अधिकारियोंने श्री ओपी शर्मावकील से मुलाकात कीलेकिन अपील को , उन्होंने शुल्क बिलों और खर्चों के भुगतान ,फिर से दायर करने के बजाय का मुद्दा उठाना जारी रखा।

13जनवरी 2010को चेक द्वारा रुपये की राशि उनके पास भेजी 33,804 साल से अधिक की देरी के 5 जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ,गई लिए एडवोकेट श्री ओपी शर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा , यह कहा गया था कि संबंधित मामलों में नामत केएफ ने केएफ को ,2543 से 2540 संख्या की ए 1999 सूचित किया था।श्री एसएस ढिल्लों 2009 ,जनवरी 12 शहरी संपदा द्वारा ,तत्कालीन निदेशक ,को शपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें यह वचन दिया गया था कि विलंब के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी ,तदनुसार : ,तेजबीरपटवारी राम पाल कानूनगोनायब) जय पाल और ब्रह्मदत्त , को बड़े जुर्माने और दो भूमि अधिग्रहणके लिए आरोप पत्र (तहसीलदार जारी किए गए हैं अधिकारी अर्थात् राम कुमारबेनीवाल और डीपी। मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया गया है।

(10) ,2010 अप्रैल 6 को श्री डीएस ढेसी द्वारा दायर हलफनामे पर विचार करते हुएराज्य के वकील को राज्य द्वारा जारी किए गए , जिसमें ,नियमों और निर्देशों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था स्लेट की ओर से मुकदमेबाजी पर मुकदमा चलाया जाता है और बचाव किया जाता है और जिन परिस्थितियों में नि िजी वकील को लगाया जा सकता है। आगे यह पता चला कि श्री ओपी गुप्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। न्यायमूत श्री आरएस शर्माएडवोकेट की रिपोर्ट के , पत्र की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई गई थी ताकि वह उनके -शपथ ,अनुसार विरुद्ध लगाए गए आक्षेपों पर अपनी टिप्पणियां दे सकें।

(11) श्री ओ 2010 ,जून 17 एडवोकेट ने ,शर्मा .पी .को अपने

हलफनामे का नेतृत्व कियाजिसमेंश्री डीएस ढेसी के हलफनामे में लगाए , गए आरोपों के मद्देनजर उनकी स्थिति स्पष्ट की गई। पूर्वोक्त शपथ पत्र अपील ,में यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्देश प्राप्त होने के तुरंत बाद दायर की गई थी। जब रजिस्ट्री ने कतिपय आपत्तियों के साथ उसे लौटा दिया तो उसे शुल्क बिलों के साथ संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया। शपथ पत्र के साथएडवोकेट श्री ओपी शर्मा ने संबंधित , विभाग को लिखे गए पत्रों की संख्या और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतियां संलग्न कीहैं।

(12) 2010 ,मई 17को इस न्यायालय नेराज्य के आचरण की निंदा करते हुएजिसके बाद सरकार के उप सचिव द्वारा दायर किए जाने , वित्तीय आयुक्त को अपना ,वाले हलफनामे की मांग की गई थी 2010 ,मई 27 हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।को श्री डीएस ढेसी का शपथपत्र न्यायालय में दायर किया गया थाजिसेअभिलिखित , किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि विधि विभाग नियमावली (2) 16.6 के नियमके अनुसारकानूनी रिमेंबरेन्सर एकमात्र प्राधिकारी , है जो वकील का चयन और निर्देश दे सकता है सरकार पर। मैं कम हो एवोकेट जनरल का कार्या ,गया। आम तौर परलय राज्य की ओर से आराम का संचालन करता है। वर्तमान मामले में जिन परिस्थितियों में निजी वकील लगे थे , उन्हें यह कहते हुए स्पष्ट करने की मांग की गई है कि विचाराधीन भूमि हुडा के लिए उसकी लागत पर अधिग्रहित की गई थी। हालांकिजुदा ने कहा कि-यह जिलाअटॉर्नी है। ई , अपील दायर करने के लिए आसान नहीं थेमामले की फिर से जांच की गई ,हालांकि , जूडा के हितों की रक्षा के लिए सभी आसान में अपील दायर /और राज्य

क्योंकि मुआवजा अधिक पाया गया था। ,करने का निर्णय लिया गया में हुडा के खर्च पर लगाया 1998 हुडा के पैनल के एक वकील को वर्ष गया था और वर्तमान मेंएडवोकेट से छूट ,विभाग ने श्री ओपी शन्ना , आई लारियाना को राज्य की ओर ,वापस ले ली है और एडवोकेट जनरल का संचालन करने के निर्देश जारी किए गए 17 से हैं।

तर्क

(13) आवेदकोंअपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने / प्रस्तुत किया कि अपील को फिर सेदायर करने में देरी इस कारण से हुई कि वकीलखतरे की धारणा के ,जिसने शुरू में अपील दायर की थी , कारण दबाव में था और आगे विभाग द्वारा उसके शुल्क बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। प्रस्तुत किया गया था कि देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए और अपीलों को योग्यता के आधार पर सुना जाना चाहिएविशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भूमि , मालिकों को उसी अधिसूचना के अधिग्रहण के लिए देय मुआवजे को बाद में इस न्यायालय द्वारा कम कर दिया गया था। जहां तक राज्य की ओर से अपील दायर करने के लिए एक निजी वकील की नियुक्ति का संबंध हैयह , प्रस्तुत किया गया था कि आईआईयूडीए के पैनल के वकील 11 जो तत्कालीन महाधिवक्ता के ज्ञान में ,यूडीए की लागत पर लगे हुए थे था और इसे उनकी निहित सहमति के रूप में माना जाना चाहिए।

(14) दूसरी ओरउत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया , कि अपील को फिर से दाखिल करने में देरीको पर्याप्त कारण या *वास्तविक* कारणों से उचित ठहराया जाना आवश्यक है । उनमें से कोई

भी वर्तमान मामले में उपलब्ध नहीं है। यह घोर लापरवाही हैजो , वर्षों की भारी देरी के लिए 9 अपील को फिर से दायर करने में लगभग माफी देने के लिए पर्याप्त नहीं है।**स्वर्ण लता आदि** पर निर्भरता रखना। **(2**)में कहा गया था कि आवेदन खारिज किया जाए।

(1) (2) 2010लॉ हेराल्ड पी एंड (एससी) 1532 (II

(2) (2)2010लॉ हेराल्ड 1309 (II पी एंड)

(15) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनाऔर कागजी किताब का अवलोकन किया।

चर्चा

(16) इससे पहले कि मैं पक्षकारों के संबंधित तर्कों पर आगे बढ़ूं , 1999 ,दिसंबर 16 मैंको अपील के प्रारंभिक दाखिल होने के समय के बाद 2000 ,अप्रैल 1को रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान देना उचित समझता हूंजहां इसे वापस कर दिया गया था। वही , -:निम्नानुसार हैं

यह अपील सीमा के भीतर (1)"कैसे है?

(2) उद्घाटन शीट अधूरी है।

(3) फैसले की निष्पक्ष टाइप की हुई कॉपी दाखिल की जाए।

(4) स्टाम्प विक्रेता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(5) कोईऔर मामला?

एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने के लिए वापस आ गया।

(17) जाहिरा तौर पर सिवाय इसके कि अपील शुरू में दिनों के 8 लिए समय पर रोक लगा दी गई थीकिसी भी आपत्ति के लिए संबंधित , ,अपै्रल 1 विभाग से किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। 2000को आपत्तियों के बाद फाइल वापस कर दी गई। इसेचार वर्षों के बाद 2004 ,अगस्त 24को पुन दायर किया गया था। इसे ,अक्तूबर 1 2004को यह कहते हुए लौटा दिया गया था कि उपर्युक्त आपत्तियों इसे ,का अनुपालन नहीं किया गया था। तत्पश्चात् (4) और (2) ,(1) 141 चार वर्ष से अधिक समय के बाद जनवरी 2009 ,को पुन दायर किया गया और *अन्य बातों के साथसाथ यह-* देखते हुए कि दिनांक 1 2000 ,अपै्रलकी आपत्तियों का अनु (4) और (2)पालन नहीं किया गया था 2009 ,जनवरी 16 ,को पुन वापस कर दिया गया। इसे 27 2009 ,जनवरीको पुन दायर किया गयायद्यपि यह रजिस्ट्री द्वारा दिए , लेकिन मेरे द्वारा ,गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं कर रहा था यह निर्णय लिया गया था कि मामले को न्यायपीठ के समक्ष ज्यों का त्यों रखा जाए। तत्पश्चात् 2009 ,फरवरी 16 इसे ,को रजिस्ट्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(18) श्री एसएस ढिल्लों 12 अर्बन इंस्टेट्स ने दिनांक ,निदेशक , 2009 ,जनवरीके अपने शपथपत्र में यह तथ्य प्रस्तुत किया था कि अपीलें 2008 ,दिसम्बर 22को पुन दायर की गई थींस्पष्ट रूप से , गलत है।

(19) इस तथ्य के बावजूद कि अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली

अन्य अपीलों में मुआवजे की राशि को इस अदालत द्वारा *कम* कर दिया गया था

1367 के एलपीए संख्या 2001 अगस्त का फैसला 10**हरियाणा राज्य बनाम सुरेश चंद गर्ग में** ,लेकिन फिर भी न तो वकील और न ही राज्यहुडा ने इस तथ्य पर ध्यान देने के बारे में सोचा कि उनके द्वारा / राज्य ,दायर सभी मामलों का फैसला किया गया है या नहीं। वास्तव में या उसके साधनों की ऊर्जा का उपयोग तुच्छ या अनावश्यक मुकदमेबाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने या बचाव करने में अधिक किया जाता है ताकि कुछ पक्षकारों को लाभ पहुंचाया जा सके या अन्य कारणों से जो इसे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बजाय मुकदमेबाजी पर जहां इसका अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।

(20) अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क कि वकीलखतरे की धारणा के ,जिसने शुरू में अपील दायर की थी , उसके पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है। ,कारण तनाव में था जुलाई को एक आदेश पारित किया गया 26 हालांकि इस न्यायालय द्वारा का हवाला 2001 में 748 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 2000 था। जिसके तहत श्री ओपी शन्ना को सुरक्षा प्रदा ,दिया गया हैन की गई थी। हालांकिकुछ खतरे की धारणा के कारण अधिवक्ता और उनके , परिवार ने राज्य के विद्वान वकील से एक स्पष्ट प्रश्न पूछा कि क्या श्री अधिवक्ता .पी.ओ अपनी कथित धमकी की धारणा की अवधि के दौरान अदालत में पेश हो रहे थे या नहींविशेष रूप से ,जवाब सकारात्मक था , यह बताते हुए कि वह उस अवधि के दौरान भी नियमित रूप से अदालत में पेश हो रहे थे। तदनुसारउनके पास अपीलों का ध्यान न रखने का , कोई कारण नहीं है। विभाग के पास शुल्क बिलों के लंबित रहने को भी

दिनों की भारी देरी के लिए 251 वर्ष और 8 अपील पुन दायर करने में क्षमा कादावा करने का न्यायोचित कारण नहीं कहा जा सकता है , विशेषकर जब राज्य का दावा यह है कि राज्य के हित का अतिरिक्त ध्यान रखने के लिए एक निजी वकील को प्रासंगिक समय पर नियुक्त किया गया था।

(21) यह अदालत मुख्य रूप से राज्य का प्रतिनिधित्व करने के ' लिए एक निजी वकील की नियुक्ति के तीन कारणों की कल्पना कर सकती हैएक यह कि राज्य स्वयं महाधिवक्ता के कार्यालय में विश्वास—खो देता है और दूसरा एक वकील को लाभ पहुंचाना हो सकता है। एक और असाधारण स्थिति हो सकती है जहां शामिल मुद्दा ऐसा है कि विषय पर एक विशेषज्ञ की सेवाओं की आवश्यकता होती है। यह मामला तीसरी श्रेणी में नहीं आता है। हुडा की कीमत पर राज्य को फिर से पेश करने के लिए निजी वकील की नियुक्ति को यह दावा करते हुए स्पष्ट करने की मांग की गई थी कि राज्य /हुडा के हित मेंहोना था लेकिन तथ्य कुछ और ही बयां करते हैं। वर्तमान मामले में भीअंततः यह , निर्णय लिया गया कि मामलों का संचालन महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आम तौर पर यह माना जाता है कि राज्य के खजाने से भुगतान करने वाले मामलों के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति स्टेल के हितों की लेकिन वर्तम ,निगरानी करते हैं और उनका ध्यान रखते हैंान मामले में सनक काफी अलग हैं और मामलों की पूरी तरह से खराब स्थिति दिखातीहै।

(22) मामले के तथ्य इतने सरल हैं कि उन्हें पेश करने की मांग की जा रही है। अपील को फिर से दायर करने के लिए नौ साल बाद भी दीक्षा *स्वतः नहीं* थी , लेकिन प्रक्रिया तभी शुरू हुई जब इस अदालत ने

इस मुद्दे को उठाया जबभूमि मालिकों द्वारा अपील वापस लेने के लिए कुछ आवेदन दायर किए गए थे। यह पाते हुए कि कुछ दिन पहले , 2003के एक अन्य आरएफए संख्या अपील वापस लेने के लिए ,में 818 जिसे ,भी आवेदन दायर किया गया था वापस लेने की अनुमति दी गई थी ,जब बाद में में अपील 2543 से 2540 नंबर-के आरएफ ए 1999 तो यह अदालत यह ,वापस लेने के लिए आवेदन सूचीबद्ध किए गए थे जानने के लिए उत्सुक हो गई कि क्या कारण था कि भूमि मालिकों ने जब ,अपील वापस लेना शुरू कर दिया था अधिक से अधिक अंत में इसे खारिज किया जा सकता है। 2008 ,सितम्बर 24को आवेदनकीसूचनाजारीकीगई उपर्युक्त अपीलों में की रिट याचिका सं 2008 सीआई के तहत एक रिट याचिका दायर 9274 और 9273 ,8989,8997 की गई है। विद्वान राज्य वकील को यह भी बताना था कि किन परिस्थितियों में का आरएफए स 2003ंख्या वापस ले लिया गया 818 था और उपरोक्त चार अपीलों में वापसी की अनुमति मांगने का कारण भी वह यह था कि इस न्यायालय द्वारा ,था। बाद में जो कारण सामने आया कम ,जैसा कि विद्वान संदर्भ समिति द्वारा दिया गया था ,मुआवजाकर दिया गया था और अपीलों में अपीलकर्ताओं के मामलों में राज्य द्वारा कोई क्रॉस अपील दायर नहीं की गई थीजहां वापस लेने के लिए , आवेदन दायर किए गए थे।

(23) नोटिस के जवाब मेंभूमि अधिग्रहण ,श्री डीआर सिंह , 2008 ,अक्टूबर 17 फरीदाबाद का ,शहरी संपदा ,कलेक्टरका हलफनामा दायर किया गया में 2542 के आरएफए संख्या 1999 थाजिसमें कहा , अधिवक्ता को पत्र संख्या ,गया था कि मामलों को श्री ओम प्रकाश शर्मा

1999 ,मार्च 22 दिनांक 2041द्वारा एसकी ओर से अपील दायर करने के लिए सौंपा गया थालेकिन अभी तक अपील दायर नहीं की जा सकी है। यह भी बताया गया कि निदेशकहरियाणा ,विभाग शहरी संपदा , से मेमो संख्या 2008 ,अक्टूबर 8 दिनांक 3484 और संख्या दिनांक 3621 2008 ,अक्टूबर 16 के माध्यम से श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट ,या एडवोकेट जनरलहरियाणा के माध्यम से एपी पेल , दाखिल करने का निर्णय लेने का पुनः अनुरोध किया गया था।

(24) को व 818 के आरएफए संख्या 2003ापस लेने के कारणों के बारे मेंयह प्रस्तुत किया गयाथा कि इस मामले को भूमि , पंचकूला को भेजा गया है क्योंकि यह उस क्षेत्र से ,अधिग्रहणअधिकारी के बारे में रिकॉर्ड को सीधे 818 के आरएफए संख्या 2003 संबंधित है। ने के लिए आवश्यक एकमात्रयहां उल्लेख कर ,रखने के लिए तथ्य यह है कि अंततः यह खुलासा किया गया था कि पुरस्कार की घोषणा के बादनीचे के विद्वान न्यायालय द्वारा, याचिका का निपटारा किया गया था 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मुआवजे की वृद्धि के लिए इस अदालत ग्रहित भूमि राज्य द्वाराअधि ,के समक्ष अपील लंबित होने के कारण अपीलकर्ता को जारी की गई थी। इसे *प्रथम दृष्टया* अवैध मानते हुए , मामले को एक जनहित याचिका के रूप में माना गयाजो अलग से , हालांकि वर्तमान मामले से संबंधित नहीं है। ,लंबित है

(25) 2008 ,दिसंबर 5को से 2540 .NOS .A.F.R के 1999 इस न्यायालय ने निम्नलिखित ,में 2543आदेश पारित किया:

डीपीसिंह ,शहरी संपदा ,भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ,एचसीएस ,

2008 ,अक्टूबर 17 फरीदाबाद का ,हरियाणाका एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें बताया गया था कि सात मामलों का एक गुच्छा श्री ओम प्रकाश शर्माइस , अर्बन एस्टेट ,डीइरेक्टर अदालत के अधिवक्ता कोहरियाणा , पंचूकला द्वारा अपील दायर करने के लिए सौंपा गया था , 1999 ,मार्च 22 दिनांकके ज्ञापन *के माध्यम से* और जैसा कि आज स्थिति मौजूद हैवास्तव में अपील दायर नहीं की , गई थी। हलफनामे में इस बात का जिक्र नहीं है कि वकील को सौंपी गई अपील अदालत में समय पर दायरकी गई थी या नहीं। मुख्यप्रशासनहुडा ने चूक का पता लगाया और , दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में दायर किया। अदालत में विस्तार से हलफनामा

(26) 2009 ,जनवरी 15को उपर्युक्त अपीलों में भूस्वामियों द्वारा - दायर आवेदनों को अपील वापस लेने के लिए स्वीकार करलिया गया और अपीलों को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

(27) उपरोक्त चार अपीलों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में। श्री एसएस ढिल्लोंहरियाणा ने अपना ,निदेशक। अर्बन एस्टेट , 1999 ,अप्रैल 6 पत्र दायर करते हुए कहा कि एपीपील प्रारंभ में-शपथ को दायर की गई थी और रजिस्ट्री द्वारा कुछ आपत्तियां उठाए जाने के बाद उन्हें नौ वर्षों से अधिक के विलंब के बाद 2008 ,दिसम्बर 22को पुन दायर किया गया था। आगे यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष से 5 अधिक का विलंब वकील की ओर से और वर्ष का विलंब भूमि 4 अधिकारियों और /अधिकारियों 52 फरीदाबाद के ,अधिग्रहण कार्यालय

,शहरी संपदा की लापरवाही के कारण हुआ है। हरियाणा ,निदेशक पंचकूला।

(28) तथ्ययह है ,कन से स्पष्ट हैजैसा कि पेपर बुक के अवलो , 2008 ,दिसंबर 22 कि वास्तव में अपीलों कोको नहीं बल्कि 14 2009 ,जनवरीको पुन प्रस्तुत किया गया था और दूसरा तथ्यजो , वह यह है कि राज्य या वकील द्वारा उन अपीलों को फिर ,महत्वपूर्ण है से दायर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था

लगभग ,वर्षों की देरी के बाद और प्रक्रिया केवल बाद में शुरू हुई 9 इसन्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए संदेह पाया कि राज्य द्वारा कुछ मामलों में अपील क्यों दायर नहीं की गई थीजबकि एक ही , अधिग्रहण में मामलों के समूह से उत्पन्न होने वाले मामलों की संख्या वास्तव में अपील दायर ,में की गई थी और मुआवजे की राशि भी इस अदालत द्वारा कम कर दी गई थी। इस प्रकार यह कहना कि वकील या अपील करने वालों ने दिनों के बाद भी अपील को फिर 251 साल और 8 सही नहीं होगा। ,से दायर करने के लिए अपने स्वयं के काम किया था

(29) पुनः फाइलिंग में देरी की क्षमा मांगने के लिए दायर आवेदन में बताए गए तथ्य में एक और स्पष्ट विरोधाभास हैएक ,अर्थात्, जिसे श्री ओपी शर ,संचार में्मा 2005 ,दिसंबर 2 एडवोकेट को ,को भूमि अधिग्रहण अधिकारीफरीदाबाद से ,डाइरेक्टर ,अर्बन एस्टेट्स , -21 पंचकूला को सेक्टरडी के लिए राज्य के बहल एफ पर भूमि अधिग्रहण मामले में अपील के संबंध में समर्थन दिया गया था) ,ख (फरीदाबाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचना में

यह उल्लेख किया गया था कि राज्य द्वारा पेटेंट अपील पत्र और भू-स्वामियों को इस न्यायालय द्वारा 2005 ,मार्च 3को खारिज कर दिया गया थातदनुसार उपर्युक्त मामले में कोई अपील दायर करने की , में यह कह 12 जबकि आवेदन के पैराग्राफ ,आवश्यकता नहीं थीा गया था कि इस न्यायालय ने दिनांक के निर्णय के 2005 अगस्त 1*तहत* यह उल्लेख किया गया था । में 1367 के एलपीए नंबर 2001 .2005 " जिसका शीर्षक ,पारित**स्टेट ऑफ हरयान** *बनाम* **सुरेश चंद गर्ग ,था "** ने भूमि का बाजार मूल्य घटाकर रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया 250 था। यहअदालत अपील दायर नहीं करने के किसी भी कारण की कल्पना करने में असमर्थ है जब यह ज्ञात था कि पहले दायर अपील स्वीकार कर ली गई थी और मुआवजे की राशि कम कर दी गई थी।

(30) यह अलगाव में एक मामला नहीं है जिसमें निजी वकील को राज्य की ओर से मामले का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया था ,जिसके कारण अधिकारियों को सबसे अच्छी तरह से पता है , वाले 4712 के एफएओ संख्या 2009 लेकिन जो कल्पना से परे नहीं है। इसी तरह की ,अन्य मामले में एक स्थिति देखी गई थीजिसमें सरकारी , वकील के हस्ताक्षर के तहत हरियाणा के स्लेट द्वारा अपील दायर की गई उस समय जब विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा तर्कों को ,हालांकि ,थी एक निजी वकील ने यह कहते हुए ,संबोधित किया जा रहा था रखने की मांग की कि उसे स उपस्थिति मेंंबंधित विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा निर्देश दिया गया था ,जिससे मामला संबंधित था , अपीलकर्ता की ओर से उपस्थिति में रखने के लिए।*इसे प्रथम दृष्टया अनुचित* पाते हुए इस अदालत ने गृह सचिव को यह स्पष्ट करने का

निर्देश दिया कि एक निजी वकील ने किन परिस्थितियों में ऐसा किया है। पूर्वोक्त अपील मेंविवाद एक मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कार से , संबंधित था। अवार्ड के खिलाफ राज्य द्वारा की गई आपत्तियों को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और यह अपील में था।

(31) वकील ,लगे हुए थे जो इस अदालत में पेश होने के लिए , उ ,वास्तव मेंच्च न्यायालय बार के सदस्य भी नहीं थेबल्किजिला , कमल में अभ्यास करने वाले एक काउंसल थे। मामले में ,न्यायालय जहां एक निजी ,घटनाओं के अनुक्रम को परेशान करने वाला पाते हुए वकील को विभाग में निचले पदाधिकारियों द्वारा उपस्थित होने का दैशनिदिया गया था इस तथ्य ,के बावजूद कि हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए*कार्योत्तर* मंजूरी को अस्वीकार कर दिया गया थामाननीय उच्चतम न्यायालय ने , इंजीनियरी विभाग के मामले में यह सूचना मांगी थी कि किन निजी काउंसेल को सार्वजनिक परिस्थितियों में खर्च पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए नियुक्त किया गया था और यह भी बताया गया था कि किस व्यय में से शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। गृह सचिव के साथइंजीनियरिंग विभाग के ,सार्वजनिक स्वास्थ्य ,साथ प्रधान सचिव-लिखित शब्दों में समझाया गयहलफनामों में निम्ना था:

> कुछ" समय महावाणिज्य कार्यालय में कानून अधिकारी असाधारण रूप से व्यस्त होते हैं और यह मामला उच्च तकनीकी प्रकृति का और वर्ष से संबंधित पुराना 1996 मामला होने के कारण पर्याप्त समय की आवश्यकता होती एकनिजी वकील को ,सर्वोत्तम जनहित में ,है। इसलिए

नियुक्तकरना आवश्यक था जो पर्याप्त समय समर्पित करके न्याय कर सके और मामले को उसके तार्किक अंत तक तैयार कर सके और आगे बढ़ा सके।

(32) महाधिवक्ता के कार्यालय के कामकाज पर राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त दावे किए गए थे जब महाधिवक्ता के कार्यालय में अधिकारियों की संख्या न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या से दोगुनी से अधिक है। हालांकिजैसा कि पूर्वोक्त मामले में इस अदालत द्वारा , सेनीया राज्य के पदाधिकारियों द्वारा उनके ,पारित आदेश में देखा गया है यान को महाधिवक्ता के द्वारा दायर हलफनामों में दिए गए तथ्यात्मक ब सामनेे रखा गया थाजिन्होंने बार में अपने कार्यालय के खिलाफ , आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वादी विभाग से किसी ने भी कभी उनके कार्यालय से संपर्क नहीं किया था।

(33) सार्वजनिक धन को किसतरह बर्बाद किया जा रहा है और महाधिवक्ता के कार्यालय के कामकाज पर आक्षेप लगाने की कोशिश की जा रही हैयह स्पष्ट , रूप से स्पष्ट करना मुश्किल है

एक्सईएन के निर्देश पर 2010 ,मई 19और 2010 ,मई 27को उपरोक्त अपील में उपस्थित महाधिवक्ता ने कहा कि निजी वकीलश्री आरके विज - वापस कर दी रुपये की पूरी फीस 88.000 ने ब्रीफ और साथ ही उन्हें थी और एडवोकेट जनरल के कार्यालय को अपील पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया है।

(34) उपरोक्तसहायता उन कई उदाहरणों में से एक हो सकती है जो यह दर्शाती है कि करदाताओं का पैसा या तो बर्बाद हो रहा है या

पसंदीदा लोगों को उदारता के रूप में वितरित किया जा रहा है। यह विवादित नहीं हो सकता है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई से करों का भुगतान करते हैं। सार्वजनिक धन के संरक्षकोंको इसे बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। इस फिजूलखर्ची को रोकने की जरूरत है।

(35) के सीएम नंबर 2010 में 2718 के आरएसए संख्या 2010 -8256सी -**स्वर्ण कौर** और अन्य *बनाम* **सुखदेव सिंह और अन्य** 6 , 2010 ,अगस्तको तय किए गएइस मामले , में अपील को फिर से दायर करने में दिनों की देरी की माफी के लिए प्रार्थना को 1460 :जबकि निम्नानुसार देखा गया ,अस्वीकार कर दिया गया

> -ई आवेदक ,यह उल्लेख करना भी उचित है कि हर समय" फाइलिंग में देरी की माफी के लिए शिथिल रूप से तैयार किए गए आवेदनों को तैयार कर रहे हैंजो आवेदकों के , के तहत 151 बचाव में आने के लिए सीपीसी की धारा अपने निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए इस अदालत को मनाने का शायद ही कोई कारण बताएगा और देरी के ढुलमुल रवैये के कारण हो सामान्य रूप सेरही है। अधिवक्ता जो रजिस्ट्री द्वारा लौटाए जाने के बाद न्यायालय की फाइल की अभिरक्षा कर रहा है क्योंकि यह न्यायालय का अनुभव है कि सामान्य रूप से कुछ आपत्तियां होती हैं जिन्हें कुछ दिन के भीतर भी दूर किया जा सकता है लेकिन फिर भी न्यायालय की टाइलेंरजिस्ट्री , द्वारा वापस आने के बादअधिवक्ताओं के कार्यालयों में पड़ी रहती हैं , क्योंकि यह उनकी धारणा बन गई है कि पुनः फाइलिंग में

विलंब की माफी केवल एक औपचारिकता है अदालत के रूप में उन्हें बिना किसी हलफनामे के केवल एक आवेदन दायर होगा। लेकिन आत्मसंतोष की एक सीमा करनाहोनी चाहिए। यह समझा जाना चाहिए कि एक वादीजो प्रथम , अपील में एक ,अपीलीय न्यायालय के समक्ष सफल हुआ है विशेष अवधि तक नोटिस की उम्मीद करता है और उसके वह सर्वोच्च रूप से आश्वस्त हो जाता है कि उसके ,बाद की गई है खिलाफ कोई अपील दायर नहीं और निर्णय और डिक्री उसके पक्ष में है

लेकिन वह तब अचंभित रह जाता है जब उसे कई वर्षों की अवधि के बाद इस न्यायालय से नोटिस प्राप्त होता है जब अपीलें फिर से दायर की जाती हैं और उसे फिर से दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष सफल वादी को निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आराम करने और आराम करने का अधिकार है कि उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाती है।

इस प्रकारतथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में , गए कारणों को अपील मैंवर्तमान मामले में दिए ,रखते हुए को फिर से दायर करने में दिनों की देरी को माफ 1460 वर्तमान ,हूं और इस तरहकरने के लिए पर्याप्त नहीं मानता -8256 सीएम नंबर ,अर्थात ,आवेदनसी ऑफ खारिज 2010 जिसके परिणामस्वरूप मुख्य अपील भी ,कर दिया जाता है

खारिज हो जाती है।

(36) यदि वर्तमान मामले के तथ्योंजैसा कि ऊपर बताया गया , हैतो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि यह ,पर विचार किया जाता है , जोअपील को फिर से दायर ,विभिन्न स्तरों पर गंभीर चूक का मामला है दिनों 251 साल और 8 करने या यहां तक कि दायर करने में की बड़ी अवधि की देरी के लिए माफी देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है।

(37) मेरी उपरोक्त चर्चा के मद्देनजरअपीलों को फिर से दायर , दिनों के विलंब की माफी के लिए आवेदन 251 साल और 8 करने में दिनों की 8 खारिज कर दिए जाते हैं। यहां तक कि अपील दायर करनेमें खारिज कर देरी पर माफी मांगने के लिए दायर अन्य आवेदनों को भी अप ,दिया जाता है। नतीजतनीलों का भी यही हश्र होता है।

(38) आदेश से अलग होने से पहलेयह अदालत वित्तीय आयुक्त , शहरी और ग्राम नियोजन विभाग की सरकार को ,और प्रधान सचिव इसगंभीर चूक की जांच करने और उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करने जिन्होंने राज्य द्वारा दा ,ध्य हैका निर्देश देने के लिए बायर अपीलों पर ध्यान नहीं देने के लिए विभिन्न स्तरों पर गलती की थी। राज्य के कर्मचारी जो ,सार्वजनिक निधियों से वेतन का भुगतान करते हैंउनसे , अपेक्षा की जाती है कि वे कार्य करेंगे और राज्य के हितों का ध्यान भुगतान इनाम के रूप में नहीं किया जा रखेंगे। वेतन काता है। जिम्मेदारी निर्धारित करने के बादराज्य को हुई हानि की राशि दोषी , सेउनकी सुनवाई के उचित अवसर पर (व्यक्तियों) व्यक्ति वसूल की जानी चाहिए।

(39) की गई कार्रवाई की एक प्रति इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखी जाए।

आर.आर.एन.

अस्वीकरण

:स्थानीयभाषामेंअनुवादितनिर्णयवादीकेसीमितउपयोगकेलिएहैताकिवहअपनी भाषामेंइसेसमझसकेऔरकिसीअन्यउद्देश्यकेलिएइसकाउपयोगनहींकियाजासक ताहैसभीव्यवहारिकऔरआधिकारिकउद्देश्योकेलिएनिर्णयकाअंग्रेजीसंस्करणप्र माणिकहोगाऔरनिष्पादनऔरकार्यान्वयनकेउद्देश्यकेलिएउपयुक्तरहेगा ।

प्रिंसकुमार

प्रशिक्षुन्यायिकअधिकारी

कैथल ,हरियाणा